

# बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि० पटना

( अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम )

पता: माइनोरिटीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि०, इमाम पथ, पटना - 80001 Phone: 2215995 Fax: 0612-2215994

( Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org )

342

संख्या: ..... यो. एम. एम. एफ. मो. .... पटना दिनांक: .....

## स्वीकृत्यादेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित चयन समिति से दिनांक 05.06.2015 को अररिया जिला के निम्नलिखित क्षेत्रों के द्वारा समर्पित वृद्धिहीन कागजात के आधार पर कुल 01 लाभार्थियों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड नाम पर प्रतिवर्ष सामान्य वार्षिक व्याज दर पर देय गये ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। अतएव विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतान के स्वरूप में दर्शाये गये हैं। उक्त ऋण राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से अंतिम करने का आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	Appl Name	Bank A/c No. of Applicant	Trade	Sanctioned Loan Amount	0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
	Masoud, S/o Sanid, Vill. Jauwa Baturi, Block-Araria, PS-Tarabati, PO-Pategna, Distt.-Araria-854311	A/c Nso-3515938688	Tail Ghani	100000	500	99500
				100000.00	500.00	99500.00

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से किया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर मण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा व्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

प्रबंध निदेशक  
7/5/16

दिनांक: 7/5/16

जापानक: 233

प्रतिनिधि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण प्रदाधिकारी, अररिया/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्युटर सेल), जेम्हा जायन्दा/मण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक  
7/5/16